

आदेश

उप वन संरक्षण, कालागढ़ रिजर्व प्रभाग, लैन्सडोन ने अपने पत्र संख्या- 2020/12-0 लैन्सडोन दिनांक 07 जुलाई 2020 के द्वारा अवगत कराया है कि पाखरी टाईगर सफारी की स्थापना हेतु जनपद गढ़वाल के तहसील कोटद्वार के ग्राम जुवा पट्टी सीला-4 तहसील कोटद्वार क अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या-28/79 कुल रक्का 20.394 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

जनपद गढ़वाल के ग्राम जुवा पट्टी सीला-4 तहसील कोटद्वार क अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या-28/79 कुल रक्का 20.394 है० भूमि में से 16.00 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पाखरी टाईगर सफारी की स्थापना हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

॥ कार्यलय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥ (धिराज सिंह गर्ब्याल)
सं० 387/8-सू.सू.सी.-2020-21 दिनांक 10, 2020 जिलाधिकारी, गढ़वाल।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
- 4- उप वन संरक्षण, कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग लैन्सडोन।
- 5- उपजिलाधिकारी, कोटद्वार।

(धिराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

11/8/20

02